



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आश्विन 1947 (श10)

(सं0 पटना 1674) पटना, बुधवार, 15 अक्तूबर 2025

परिवहन विभाग

अधिसूचना

10 अक्तूबर 2025

सं0 सं0-05/स्था0-(DTO)-30/2013 (खंड-1) 8475—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-18805, दिनांक-05.10.2025 द्वारा परिवहन विभाग के 05 जिला परिवहन कार्यालय में जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन किया गया है। पदस्थापित पदाधिकारी का नाम एवं जिला निम्नवत् है:-

क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थान	नवपदस्थापन
1	श्री बलवीर दास, 635/24, भागलपुर	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा।	जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा।
2	श्री नवीन कुमार पाण्डेय, 736/24, झारखंड	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा।	जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा।
3	श्रीमती अन्नु कुमारी, 605/24, बेगूसराय	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, वैशाली।	जिला परिवहन पदाधिकारी, बांका।
4	श्री सुबीर रंजन, 239/24, मुंगेर	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधेपुरा सदर।	जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार।

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थान	नवपदस्थापन
5	रवि कुमार आर्य, 615/24,पूर्वी० चम्पारण	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बडहिया, लखीसराय	जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए उपरोक्त कंडिका 1 से 5 में अंकित पदाधिकारियों को उनके जिले हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृत्यानंद रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1674-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>